

फर्द अहकाम

यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

ख्या :- 02/2023

लाला बनाम पुन्डु

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------|---------------------------|--|
| | | <p>आदेश के कारण अपना नामांतरण नहीं सुलवा पा रहे हैं। अतः प्र. पत्र 151 CPC का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना / प्रतिपादी स. 3 ता 12 को न्यायालय के स्पष्ट आदेश दिनांक 2/1/2023 में विरासत का नामांतरण खोलने तक की छूट प्रदान की जाती है। प्रार्थना / प्रतिपादी स. 3 ता 5 कृति का आज्ञा केचान न करें।</p> <p>विशेष स्पष्ट आदेश ध्वनितकर भयावत रहेगा।</p> <p>पत्रावली दिनांक 1/10/24 से पेश है।</p> <p>सप्लायर कारी</p> <p>पत्रावली दिनांक 2/1/24</p> <p>कर्म अलमामि 5 नरत</p> <p>दिन 2/1/24 नवली</p> <p>दिन 2/1/24 हो।</p> |

| नाक आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------|---|-------------|
| 10/24 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक महसूल समय पर नहीं दिया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p> | |